दिनांक 10.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09.03.2025 को थाना उत्तर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला पान सहाय में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुड्डा उर्फ राहुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डा उर्फ राहुल निवासी टापाकलां थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद औरैया/थाना फफूंद

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 31 सोलर पैनल प्लेट**
- **नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 10.03.2025 को थाना फफूंद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम डिल्हा मनकौढा मार्ग के पास से 06 अभियुक्तों 1–नन्दलाल उर्फ अनुराग 2–शिवाजी 3–मंजीत कुमार 4–बृजेन्द्र 5–ऋषभ कुमार उर्फ नीशू 6–ध्रुव कुमार उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया एवं 02 बाल अपचारी को बाल संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 31 सोलर पैनल प्लेट, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.02.2025 को थाना फफूंद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फफूंद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोलर पैनल प्लेट आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फफूंद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नन्दलाल उर्फ अनुराग निवासी नगला भदौरिया थाना फफूंद जनपद औरैया।।

2–शिवाजी निवासी नवलगंज थाना अछल्दा जनपद औरैया।

3–मंजीत कुमार निवासी अड्डा तलइया खेडा थाना इकदिल जनपद इटावा।

4–बृजेन्द्र निवासी दलप थाना इकदिल जनपद इटावा।

5–ऋषभ कुमार उर्फ नीशू निवासी दलप थाना इकदिल जनपद इटावा।

6–ध्रुव कुमार उर्फ सोनू निवासी नगला कराइन थाना अछल्दा जनपद औरैया।

बरामदगी

1—लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 31 सोलर पैनल प्लेट।

2—नगद रूपये।

3—घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 09.03.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डेयरी फार्म के ग्राउण्ड के पास से 02 अभियुक्तों 1—दीपक 2—छोटू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त छोटू के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के थाना सदर बाजार पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक निवासी टुण्डपुरा थाना सदर बाजार, आगरा।

2—छोटू निवासी छऊअन नगला थाना शाहगंज, आगरा।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड़

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 ट्रैक्टर**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09.03.2025 की रात्रि थाना ककोड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–चन्द्रशेखर उर्फ चन्दू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–दीपक सहित गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 ट्रैक्टर, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ चन्दू के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ककोड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चन्द्रशेखर उर्फ चन्दू निवासी ग्राम जरारा थाना खैर जनपद अलीगढ़।

2–दीपक निवासी ग्राम जरारा थाना खैर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—चोरी का 01 ट्रैक्टर।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद हापुड़/थाना धौलाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना धौलाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सूरज को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0जमाल को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना लवेदी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना लवेदी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रवि उर्फ रविशंकर को 07 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–जनपद मऊ से रुपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजीत उर्फ सिन्टू गिरफ्तार।

दिनांकः 10–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना घोसी, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2023 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजीत उर्फ सिन्टू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अजीत उर्फ सिन्टू पुत्र कंचन निवासी ग्राम पूनापार, थाना घोसी, जनपद–मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

रोडवेज बस स्टैण्ड के पास, थाना क्षेत्र घोसी, मऊ। दिनांक 10–03–2025 समय 03.05 बजे प्रातः।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त क्रम में निरीक्षक श्री ओम शंकर शुक्ला, उ0नि0 प्रताप नारायण सिंह, मु0आ0 गिरिजाशंकर यादव, दिलीप कुमार, मु0आ0 मुकेश प्रजापति, आ0चालक कुमुदेश की टीम जनपद–मऊ में अभिसूचना संकलन के उद्देष्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना घोसी, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2023 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजीत उर्फ सिन्टू रोडवेज बस स्टैण्ड के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अजीत उर्फ सिन्टू को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह लुधियाना पंजाब में रहता था। उसका मित्र अवनीष उर्फ करिया उसके ही गॉव का रहने वाला था। अवनीष ने अपने ही गॉव की

एक नाबालिक लड़की को बहला–फुसलाकर गॉव से भगाकर उसके पास (लुधियाना) लाया था। जहॉ पर कुछ दिन तक उस लड़की को रखा था। स्थानीय पुलिस द्वारा अवनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा यह फरार चल रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना घोसी, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2023 में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————